

उत्तर प्रदेश शासन  
कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5  
संख्या-14/2017/2670जे/22-5-16-300(75)/2016  
लखनऊ : दिनांक 17 फरवरी, 2017

वारण्ट

जिला कारागार, देवरिया में निरूद्ध सिद्धदोष निम्न बंदियों को मानसिक रोग से ग्रसित पाया गया है।

- 1- सईद पुत्र बकील खॉ
- 2- महिला बंदी कृष्णा पत्नी शंकर
- 3- महिला बंदी दुईजी पत्नी भान ऊर्फ चन्द्रभान

2- अतएव उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-510 एव प्रिजनर्स एक्ट-1900 की धारा-30(1) के अन्तर्गत आदेशित किया जाता है कि उक्त बंदी को मानसिक रोग के उपचारार्थ मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी स्थानान्तरित कर दिया जाये तथा स्वस्थ होने के उपरान्त दण्ड की शेष अवधि भोगने हेतु उसे जिला कारागार, देवरिया में वापस भेज दिया जाये।

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

संख्या- 14 /2017/2670जे0(1)/22-5-16-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवार्य, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या-45174/सामा-1(1)/मानसिक बंदी/4/2016, दिनांक 26-12-2016 के संदर्भ में मूल संलग्नकों सहित।
- 2- जिलाधिकारी, देवरिया ।
- 3- पुलिस अधीक्षक, देवरिया ।
- 4- अधीक्षक जिला कारागार, देवरिया ।
- 5- प्रमुख अधीक्षक, मानसिक चिकित्सालय, वाराणसी।
- 6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डा0 गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।